

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू -

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 61/2017

1. अशोक कुमार पुत्र जयनारायण उम्र 37 साल
2. ग्यारसी देवी पत्नी जयनारायण उम्र 65 साल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
3. सविता उर्फ सुनिता पुत्री जयनारायण पत्नी राजबीर जाति अहीर निवासी जावा बिजणा त0 दादरी जिला भिवानी हरि0
4. अनिता पुत्री जयनारायण पत्नी संजय जाति अहीर निवासी खान्दवा त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
5. बबीता पुत्री जयनारायण जाति अहीर निवासी बुढीण त0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0

..... वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मी देवी पत्नी विरेन्द्र
2. मातुराम
3. अभय सिंह
4. ज्ञान सिंह
5. समशेर सिंह पुत्रान तोताराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
6. मेघा देवी पुत्री तोताराम पत्नी उदयभान जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद बलावा त0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ
7. सुरेश
8. विरेन्द्र
9. राकेश पुत्रान सीताराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
10. मणी पुत्री सीताराम पत्नी जगदीश जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद बुढीण त0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0
11. राजेश पुत्री सीताराम पत्नी सुधिर जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद सहड की ढाणी त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
12. बिरमती पुत्री सीताराम पत्नी संजय जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद सहड की ढाणी त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
13. राजेन्द्र



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

14. महेन्द्र
15. बीलराम उर्फ विरेन्द्र
16. अतर सिंह पुत्रान रामस्वरुप जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
..... प्रतिवादीगण

दावा -खाता विभाजन

राजस्व वाद सं.- 32/2018

1. सुरेश कुमार
2. विरेन्द्र कुमार } पि. सीताराम
3. राकेश कुमार }
4. मणी
5. राजेश } पुत्रियां सीताराम
6. बीरमति }

समस्त जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
..... वादीगण

बनाम

1. मातुराम
2. अभय सिंह
3. ज्ञान सिंह
4. समशेर सिंह पुत्रान तोताराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
5. मेदा देवी पुत्री तोताराम पत्नी उदयभान जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद बलावा त0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ
6. ग्यारसी देवी पत्नी जयनारायण उम्र 65 साल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
7. सुनिता पुत्री जयनारायण पत्नी राजबीर जाति अहीर निवासी जावा बिजणा त0 दादरी जिला भिवानी हरि0
8. अनिता पुत्री जयनारायण पत्नी संजय जाति अहीर निवासी खान्दवा त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
9. बबीता पुत्री जयनारायण जाति अहीर निवासी बुढीण त0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0
10. अशोक कुमार पुत्र जयनारायण उम्र 37 साल

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

11 राजेन्द्र

12 महेन्द्र

13 अतर सिंह पुत्रान रामस्वरुप जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0

14 लक्ष्मी देवी पत्नी विरेन्द्र

15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
..... प्रतिवादीगण

दावा -खाता विभाजन

दोनो वाद समान विषय वस्तु, समान पक्षकार, के मध्य समान अनुतोष को लेकर है। पत्रावली 52/2018 को 61/2017 के साथ समेकित की गई है। अतः इस आदेश द्वारा उपर्युक्त दोनों दावो का निर्णय किया जा रहा है। एक-एक प्रति दोनो पत्रावलीयों में रखी जावे। वादी, प्रतिवादी का आशय 61/2017 के अनुसार माना जावे।

दावा - खाता विभाजन (संशोधित)

-: निर्णय:-

दिनांक 11.04.2022

राजस्व वाद सं.- 61/2017

वादीगण की और से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश है।

1. यह कि वाके ग्राम नावता की ढाणी त0 बुहाना सरहद भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं0 79 के ख0 न0 2430 रकबा 0.30 है0 ख0 न0 2431 रकबा 0.40 है0 ख0 न0 2449 रकबा 0.26 है0 ख0 न0 2464 रकबा 0.64 है0 ख0 न0 2465 रकबा 0.40 है0 ख0 न0 2466 रकबा 0.50 है0 ख0 न0 2467 रकबा 0.54 है0 ख0 न0 2475 रकबा 1.00 है0 ख0 न0 2476 रकबा 0.55 है0 ख0 न0 2480 रकबा 0.87 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.46 है0 भूमि में वादीगण की पैत्रिक भूमि मे वादी सं0 1 ल0 5 का 1/4 हिस्से के कब्जे काश्त खातेदार कास्तकार है शेष हिस्से पर प्रति0 सं0 1 ल0 16 कब्जेकास्त व खातेदार कास्तकार है।
2. यह कि वाके ग्राम पचेरी कला सरहद त0 बुहाना सरहद भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं0 162 के ख0 न0 1563 रकबा 1.33 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.33 है0 भूमि वादीगण सं0 1 ल0 5 की पैत्रिक भूमि मे वादीगण 1/4 हिस्सा यानि 0.33 है0 भूमि के कब्जे कास्त व खातेदार कास्तकार है। शेष हिस्से

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

पर प्रतिवादी सं० 1 ल० 16 अपने अपने हिस्से पर कब्जे कास्त व खातेदार कास्तकार है।

3. यह कि वाद वर्णित भूमि पर वादीगणों व प्रतिवादीगणों ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। उसी बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर कब्जे कास्त है।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि पर वादीगणों व प्रतिवादीगणों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है वादीगणों ने भूमि सुधार हेतु खाता विभाजन करने के लिये प्रतिवादी को कहा तो प्रतिवादीगणों ने ऐसा करने के लिये मना कर दिया। जिस कारण से वादीगणों को यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।
5. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं० 1 व 2 में खातेदार तोताराम पुत्र रामनारायण फौत हो चुके है जिसके विधिक वारिसान प्रति० सं० 2 ल० 6 है जिसको वादीगणों ने पक्षकार बनाया है इसी प्रकार वाद पत्र के खण्ड सं० 1 व 2 में खातेदार कर्णसिंह पुत्र रामस्वरुप भी अविवाहित फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान प्रति० सं० 13 ल० 16 है जिसको वादीगणों ने पक्षकार बनाया है।
6. यह कि वाद वर्णित भूमि में प्रति० सं० 17 भूस्वामी है जो आवश्यक पक्षकार है इसलीय वादीगणों ने उन्हे भी पक्षकार बनाया है।
7. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम नावता की ढाणी त० बुहाना व ग्राम पचेरी त० बुहाना में स्थित होने के कारण सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।
8. यह कि वाद पत्र न्यूनतम जमाबन्दी के साथ नक्शा टेस वादी का शपथ पत्र भी संलग्न है।
9. यह कि वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।
अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि -

(क) कि वाके ग्राम नावता की ढाणी त० बुहाना सरहद भूमि जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के खाता सं० 79 के ख० न० 2430 रकबा 0.30 है० ख० न० 2431 रकबा 0.40 है० ख० न० 2449 रकबा 0.26 है० ख० न० 2464 रकबा 0.64 है० ख० न० 2465 रकबा 0.40 है० ख० न० 2466 रकबा 0.50 है० ख० न० 2467 रकबा 0.54 है० ख० न० 2475 1.00 है० ख० न० 2476 रकबा 0.55 है० ख० न० 2480 0.87 है० कुल किता 10 कुल रकबा 5.46 है० भूमि में वादी सं० 1 ल० 5 का 1/4 हिस्से यानी 1.365 है० भूमि का अलग से खाता विभाजन किया जाकर लगान कायम किया जावे।

(ख) कि वाके ग्राम पचेरी कला सरहद त० बुहाना सरहद भूमि खाता सं० 162 के ख० न० 1563 रकबा 1.33 है० कुल किता 1 कुल रकबा 1.33 है० भूमि में वादीगण सं० 1 ल० का 1/4 हिस्सा यानी 0.33 है० भूमि का अलग से खाता विभाजन किया जाकर लगान कायम किया जावे।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी वादा
जिला जयपुर (राज.)

राजस्व वाद सं.- 52/2018

वादीगण की ओर प्रस्तुत वाद पत्र संक्षिप्त विवरण है कि के ग्राम नावता की ढाणी त0 बुहाना सरहद भूमि जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के खाता स0 79 के ख0 न0 2430 रकबा 0.30 है0 ख0 न0 2431 रकबा 0.40 है0 ख0 न0 2449 रकबा 0.26 है0 ख0 न0 2464 रकबा 0.64 है0 ख0 न0 2465 रकबा 0.40 है0 ख0 न0 2466 रकबा 0.50 है0 ख0 न0 2467 रकबा 0.54 है0 ख0 न0 2475 रकबा 1.00 है0 ख0 न0 2476 रकबा 0.55 है0 ख0 न0 2480 रकबा 0.87 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.46 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है। वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 लगायत 10 का हिस्सा व प्रतिवादी सं. 11 लगायत 14 का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि -

(क) कि वाके ग्राम नावता की ढाणी त0 बुहाना सरहद भूमि जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के खाता स0 79 के ख0 न0 2430 रकबा 0.30 है0 ख0 न0 2431 रकबा 0.40 है0 ख0 न0 2449 रकबा 0.26 है0 ख0 न0 2464 रकबा 0.64 है0 ख0 न0 2465 रकबा 0.40 है0 ख0 न0 2466 रकबा 0.50 है0 ख0 न0 2467 रकबा 0.54 है0 ख0 न0 2475 1.00 है0 ख0 न0 2476 रकबा 0.55 है0 ख0 न0 2480 0.87 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.46 है0 व इसी ग्राम के खसरा नम्बर 1583 रकबा 1.33 है। भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्से भूमि का अलग से खाता विभाजन किया जाकर लगान कायम किया जावे।

(ख) कि वाद वर्णित भूमि में पक्षकारान को आवागमन के लिये नियमानुसार रास्ता कायम किया जावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 1 से 4, 7 से 8, 13 से 16 की ओर से श्री सुरेन्द्र यादव एडवोकेट द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। इकबालिये जबाब दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2070-73, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070-73, नकल नक्शा किस्तवार पेश किए गए।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 11.06.2019को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रजात रिपोर्ट क्रमांक 146 दिनांक 28.01.2021 के द्वारा प्राप्त हुई। उभय पक्षकारान अदालत दिनांक 11.04.2022 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

निवेदन किये हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम समस्त उभय पक्षकारान सहमत है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जावे।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद को खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नावता की ढाणी त0 बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 79 के ख0 न0 2430 रकबा 0.30 है0 ख0 न0 2431 रकबा 0.40 है0 ख0 न0 2449 रकबा 0.26 है0 ख0 न0 2464 रकबा 0.64 है0 ख0 न0 2465 रकबा 0.40 है0 ख0 न0 2466 रकबा 0.50 है0 ख0 न0 2467 रकबा 0.54 है0 ख0 न0 2475 1.00 है0 ख0 न0 2476 रकबा 0.55 है0 ख0 न0 2480 0.87 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.46 है0 एवं ग्राम पचेरी कला सरहद त0 बुहाना सरहद भूमि खाता सं0 162 के ख0 न0 1563 रकबा 1.33 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श " अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव " अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

जिला इन्दौर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11-04-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

जिला इन्दौर (राज.)



मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:- 61/2017
राजस्व वाद सं:- 52/2018
निर्णय दिनांक:- 11.04.2022

अशोक कुमार बनाम लक्ष्मी देवी आदि
सुरेश कुमार आदि बनाम मंगतुराम आदि
दावा बाबत- खाता विभाजन

वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.04.2022 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद को खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नावता की ढाणी त0 बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 79 के ख0 न0 2430 रकबा 0.30 है0 ख0 न0 2431 रकबा 0.40 है0 ख0 न0 2449 रकबा 0.26 है0 ख0 न0 2464 रकबा 0.64 है0 ख0 न0 2465 रकबा 0.40 है0 ख0 न0 2466 रकबा 0.50 है0 ख0 न0 2467 रकबा 0.54 है0 ख0 न0 2475 1.00 है0 ख0 न0 2476 रकबा 0.55 है0 ख0 न0 2480 0.87 है0 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 5.46 है0 एवं ग्राम पचेरी कला सरहद त0 बुहाना सरहद भूमि खाता सं0 162 के ख0 न0 1563 रकबा 1.33 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर अनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार कार्रकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सुनील कुमार चौहान)
सुनील कुमार चौहान
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)